आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24/2/25

एस०ए०आर० वाद सं०–10/2017–2018

टीपु मुण्डा,.....आवेदक

बनाम्

जगनारायण सिंह, ...विपक्षी

आदेश

आवेदक टीपु मुण्डा, पिता–स्व० बिरसा मुण्डा, निवास ग्राम–काँके रोड टिकुली टोली, थाना–गोन्दा, जिला–राँची द्वारा जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षी जगनारायण सिंह, पिता–स्व० सरजु प्रसाद सिंह, निवास ग्राम–टिकुली टोली, थाना–गोन्दा, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कटहरगोन्दा	201	28	629	18 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि खतियान बड़का पुसुवा मुण्डा वल्द शोमा मुण्डा के नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक ने अपने आवदेन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि खतियान रैयत बड़का पुसुवा मुण्डा वल्द शोमा मुण्डा के नाम से दर्ज है। बड़का पुसुवा मुण्डा अपने पीछे कन्दरू मुण्डा, वो सुकरा मुण्डा, वो मांगा मुण्डा, वो एतवा मुण्डा को छोड़ गये। सुकरा मुण्डा अपने पीछे बिरसा मुण्डा, वो सोमा मुण्डा, वो रतिया मुण्डा, को छोड़ गये। बिरसा मुण्डा, अपने पीछे महावीर मुण्डा, वो टीपु मुण्डा (आवेदक) को

24/2/25

कृ०पृ०उल्टे

24/2/25

को छोड़ गये। आवेदक टीपु मुण्डा खतियानी रैयत के वंशज हैं। आवेदक की ओर से खतियान की छाया प्रति दाखिल किया गया है तथा अंचल रसीद भी दाखिल किया गया है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। कहते हैं कि वर्णित भूमि पर एस०ए०आर० वाद चल चुका है, जिसका वाद सं०–88/1987–88 है। यह वाद छोटु मुण्डा वगै० बनाम् जगनारायण सिंह है, इसमें क्षतिपूर्ति राशि 4000/– (चार हजार रूपया) प्रति कट्ठा देने का आदेश पारित हुआ था। इसके पश्चात् विपक्षी (1) एतवा मुण्डा पिता–बड़का पुसुवा मुण्डा, (2) बन्धु मुण्डा, पिता–कन्दरू मुण्डा, (3) बिरसा मुण्डा, पिता–सुकरा मुण्डा, (4) कोका मुण्डा, पिता–स्व० सुकरा मुण्डा, (5) छोटु मुण्डा, पिता–मंगा मुण्डा, (6) रामु मुण्डा, पिता–मंगा मुण्डा, को क्षतिपूर्ति राशि 4000/– (चार हजार रूपया) प्रति कट्ठा कि दर से भुगतान न्यायालय में कर दिया गया। वर्णित भूमि पर विपक्षी घर–मकान बनाकर रह रहें हैं, तथा नगर निगम, राँची में अपने नाम पर विपक्षी होल्डिंग टैक्स देते आ रहें हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, बहस में कहते हैं कि यह मामला Resjudicata धारा–11, CPC के अन्तर्गत आता है, क्योंकि वर्णित भूमि पर पूर्व में एस०ए०आर० वाद–88/1987–88 चल चुका है, इसमें क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश किया गया है। तत्पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी किया गया है। यह वाद चलने योग्य नहीं है। इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने, लिखित बहस देखने तथा कागजातों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाद Resjudicata के अन्तर्गत है। यह वाद चलने योग्य एवं पोषणीय नहीं है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

24/2/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.03.07 16:55:30 +05:30
Location: 192.168.123.39